



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13092021-229571
CG-DL-E-13092021-229571

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 513]
No. 513]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 13, 2021/भाद्र 22, 1943
NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 13, 2021/BHADRA 22, 1943

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 सितम्बर, 2021

सा.का.नि. 627(अ).—आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 142 के उपखंड (1) के खंड (i) के दूसरे परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड आयकर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (उनतीसवां संशोधन) नियम, 2021 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. आय-कर नियम 1962 में, नियम 12ड. के पश्चात् निम्नलिखित नियम को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“12च. धारा 142 की उपधारा (1) के खंड (i) के दूसरे परंतुक के अधीन विहित आयकर प्राधिकारी.— धारा 142 की उपधारा (1) के खंड (i) के दूसरे परंतुक के अधीन विहित आयकर प्राधिकारी ऐसे आयकर प्राधिकारी होंगे जो आयकर अधिकारी की पंक्ति से नीचे के न हों जिन्हें केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा इस खंड के प्रयोजनों के लिए ऐसे प्राधिकारी के रूप में कार्य करने को प्राधिकृत किया गया है।”

[अधिसूचना सं. 109/2021/फा. सं. 370142/27/2021-टीपीएल (भाग-I)]

शेफाली सिंह, अवर सचिव, कर नीति और विधायन

टिप्पण: मूल नियम अधिसूचना संख्यांक का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च 1962 में प्रकाशित किया गया था और अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 623(अ), तारीख 10 सितम्बर, 2021 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी।